UPJS010031392026

<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश (आव०वस्तु अधि०)/अपर सत्र न्यायाधीश, झाँसी।</u>
उपस्थितः–अनुभव द्विवेदी (उच्चतर न्यायिक सेवा)
जे०ओ० कोड–UP1637
<u>प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1007/2026</u>

जुगल पुत्र हीरालाल, निवासी–मोहल्ला गाँधीगंज जयंती पैलेस के सामने, थाना–मऊरानीपुर, जिला–झाँसी। ----------अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० राज्य ---------अभियोजक।

मु०अ०सं०–638/2020
धारा–138 बी विद्युत अधिनियम
थाना–एण्टी पावर थेफ्ट, जिला–झाँसी।

1. थाना–एण्टी पावर थेफ्ट, जिला–झाँसी के मु०अ०सं०–638/2020, अन्तर्गत धारा–138 बी विद्युत अधिनियम के प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त **जुगल** की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त जरिये आत्मसमर्पण न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में अभियोजन कथानक को अंकित करते हुए सारतः कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त ने कथित धारा का कोई अपराध नहीं किया है और उसे कथित अपराध में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त पर बकाया बिल का भुगतान किए बिना चोरी से बिजली का उपभोग करने का आरोप लगाया गया है और अभियुक्त पर मु०–90,903,94,000/– रुपए जितनी बड़ी धनराशि बकाया होना दर्शाया गया है, जो कि अत्यंत आश्चर्यजनक है कि इतनी बड़ी धनराशि का बिजली उपभोग किस प्रकार प्रार्थी द्वारा किया जा सकता है। अभियुक्त के विरुद्ध कोई साक्ष्य घटनास्थल से एकत्र नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि संपूर्ण अभियोजन कथानक झूठा एवं बनावटी है। घटनास्थल का कोई वीडियोग्राफ अथवा फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त को कभी भी दोषसिद्ध नहीं किया गया है। अभियुक्त साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय के आदेशानुसार सभी अभिरोपित शर्तों का पालन करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त का अन्य कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र अन्य किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही खारिज हुआ किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र में दिये गये आधारों पर अभियुक्त/प्रार्थी ने दौरान विचारण जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की है।

3. प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्को को सुना। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थनापत्र में अंकित आधारों की पुनरावृत्ति करते हुए अग्रेतर यह तर्क किया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध करते हुए तर्क किया गया कि उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा बकाया विद्युत बिल बिना जमा किए एवं बिना विभागीय अनुमति के अपने संयोजन को पुनः जोड़कर विद्युत का उपभोग

करते करते पाए जाने का आरोप है। अपराध अजमानतीय है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5. संबंधित पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा संदीप कुमार टी०जी०–2 ने थाना–एण्टी पावर थेफ्ट, जिला–झाँसी में यह सूचना प्रस्तुत की है कि दिनांक–26.02.2020 को समय 02.10 बजे मैं संदीप कुमार टी०जी०–2 मऊरानीपुर टाउन मय स्टाफ शैलेन्द्र प्रताप टी०जी०–2, मोहित पटेल संविदाकर्मी, परमानन्द लाइनमैन, अनुबंधित वाहनों व चालकों के साथ गोपनीय सूचना के आधार पर अधिशासी अभियंता वि०वि०खं०/मऊरानीपुर के आदेशानुसार संयुक्त टीम बनाकर मऊरानीपुर (टाउन) क्षेत्र में विद्युत चैकिंग हेतु मामूर थे, जिस दौरान उपभोगकर्ता जुगल पुत्र हीरालाल को पूर्व में बकाए पर विच्छेदित संयोजन को स्वयं से जोड़कर विद्युत का अवैध उपभोग करते हुए पाया गया। उक्त कृत्य भा०वि०अ० 2003 संशोधित अधिनियम 2007 की धारा–138 बी के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसकी बकाया धनराशि 77108.00/–रुपए है। अतः मौके पर चैकिंग रिपोर्ट सं०–39/977 भरी गई। उपभोगकर्ता का यह कृत्य मेरी जानकारी में प्रथम अपराध है। अतः उपभोगकर्ता के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत करने का कष्ट करें।

7. उक्त सूचना के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा –138 बी विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–638/2020 थाना–एण्टी पावर थेफ्ट, जिला–झाँसी में दिनांक 27/02/2020 को समय 18.32 बजे दर्ज कराई गयी। प्रकरण की विवेचना आरंभ की गयी। विवेचना उपरान्त अभियुक्त/प्रार्थी के विरूद्ध धारा –138 बी विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है।

8. अभियुक्त जुगल पर बकाया विद्युत बिल बिना जमा किए एवं बिना विभागीय अनुमति के अपने संयोजन को पुनः जोड़कर विद्युत का उपभोग करते पाए जाने के कारण धारा–138 बी विद्युत अधिनियम का आरोप है।

9. अभियोजन द्वारा अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त के फरार होने की सम्भावना दर्शित नहीं की गई है।

10. मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों में, प्रकरण के गुण दोष पर विचार किये बिना, न्यायालय जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने योग्य पाता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **जुगल** की ओर से मु०अ०सं०–638/2020, धारा–138 बी विद्युत अधिनियम, थाना–एण्टी पावर थेफ्ट, जिला–झाँसी में प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मु० 20,000/– (बीस हजार रुपये) की धनराशि के **एक** प्रतिभू व समान धनराशि का निजी बन्ध पत्र न्यायालय में दाखिल करने पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक–30.05.2026

(अनुभव द्विवेदी)
विशेष न्यायाधीश (आव०वस्तु अधि०)/
अपर सत्र न्यायाधीश, झाँसी।
(जे०ओ० कोड–1637)